रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 151] नई दिल्ली, सोमवार, जून 7, 2010/ज्येष्ठ 17, 1932

No. 151] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 7, 2010/JYAISTHA 17, 1932

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
(केन्द्रीय कार्यालय)
अधिसूचना

पुणे, 31 मई, 2010

फा.सं. एएक्स1/एसटी/ओएसआर/8926/2010.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ऑफ महाराष्ट्र का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करके तथा केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, एतद्द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र (कर्मचारी) पेंशन विनियमावली, 1995 में और संशोधन करके निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, अर्थात् :—

1. ये विनियमावली बैंक ऑफ महाराष्ट्र (कर्मचारी) पेंशन विनियमावली, 2009 कहलाएगी।
2. वे सरकारी राजपत्र के प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।
3. विनियम 2 खंड (ढ) उप-खंड (ग) में निम्नानुसार संशोधन—

   "(ग) पुत्र या पुत्री विधवा या तलाकशुदा पुत्री सहित, जिसने पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, या उसके विवाह या पुनर्विवाह तक, जो भी पहले हो, इसमें कानूनी रूप से गोद लिया गया पुत्र या पुत्री शामिल हैं।"
4. विनियम 8 में उप-विनियम (3) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम शामिल करने का प्रस्ताव है —

   "(4) न्यासी की नियुक्ति की पदावधि तीन वर्ष के लिए होगी और बैंक ऐसे न्यासी को पुन: नियुक्त कर सकता है जिसने अपनी पदावधि पूरी कर ली हो, किंतु यह उपबंध है कि किसी भी न्यासी को दो पदावधि/पदावधियों से अधिक हेतु नियुक्त नहीं किया जाएगा।"
5. उक्त विनियमावली के विनियम 9 में निम्नलिखित उपबंध शामिल करने का प्रस्ताव है—

   "यह उपबंध है कि ऐसे सभी निर्देश लिखित रूप में दिये जाएंगे और उसमें प्रयोजन या उद्देश्य को विनिर्दिष्ट किया जाएगा।"
6. विनियम 10, उप-विनियम (2) में निम्नानुसार संशोधन किया जाए—

   "हर वित्तीय वर्ष के समापन से एक सौ अस्सी दिनों के भीतर" शब्दों के प्रारंभिक अंश को "बैंक के तुलन पत्र के प्रकाशन के दिनांक से साठ दिनों के भीतर" शब्दों से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है,।

एम. वी. ढोबले, उप-महाप्रबंधक मानव संसाधन प्रबंधन

[विज्ञापन III/4/318/10-असा.]

पाद टिप्पणी.—मुख्य विनियमावली को दिनांक 29-9-1995 को भारत के राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचित किया गया था और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (कर्मचारी) पेंशन विनियमावली, 1995 में बाद के संशोधन नीचे दिये गये ब्योरों के अनुसार राजपत्र में प्रकाशित किये गये थे।

अनु क्र.	अधिसूचना क्र.	दिनांक
विनियम 22(4)	एएक्स1/एसटी/ओएसआर/4464/2000	22-7-2000
विनियम 2, 3, 12, 18, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 48	एएक्स1/एसटी/ओएसआर/1539/200	3-4-2003

BANK OF MAHARASHTRA

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Pune, the 31st May, 2010

F. No. **AX1/ST/OSR/8926/2010.**—In exercise of powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Bank of Maharashtra in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Government, hereby makes following regulations further to amend the Bank of Maharashtra (Employees') Pension Regulations, 1995 namely:—

1. These Regulations may be called Bank of Maharashtra (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2009.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. To amendment Regulation 2 clause (o) sub-clause (c) as under—

   "(c) Son or daughter including widow or divorced daughter till he or she attains the age of twenty-five years or up to his or her marriage or re-marriage, whichever is earlier including such son or daughter adopted legally".
4. In Regulation 8 after sub-regulation (3) the following sub-regulation is proposed to be inserted—

   "(4) The term of appointment of trustee shall be for a period of three years and the Bank may re-appoint a trustee who has already completed his term, provided that no trustee shall be appointed for more than two terms".
5. In the said Regulations in Regulation 9 the following proviso is proposed to be inserted—

   "Provided that all such direction shall be given in writing and shall specify the purpose or objective".
6. To amend Regulation 10, sub-regulation (2) as under—

   The opening portion for the words "Within one hundred and eighty days from the closing of each financial year" the words "Within sixty days from the date of publication of the Balance Sheet of the Bank" are proposed to be substituted.

M. V. DOBLE, Dy. General Manager HRM

[ADVT III/4/318/10-Exty.]

Foot Note.—The principal Regulations were notified in the Gazette of India (Extraordinary) on 29-9-1995 and subsequent amendment (s) to the Bank of Maharashtra (Employees') Pension Regulations, 1995 were published in the Gazette as per details below :

S.No.	Notification No.	Date
Regulation 22(4)	AX-1/ST/OSR/4464/ 2000	22-7-2000
Regulations 2, 3, 12, 18, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 48	AX-1/ST/OSR/1539/ 2003	3-4-2003

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.